

प्राथा के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज की ओर से जवाब पेश किया गया। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र से स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होन व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

### आदेश

खेत खसरा नम्बर 18 तादादी 2.8800 हैक्टेयर वाके रोही लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी संख्या 1 का अशुद्ध नाम लिक्ष्मा पत्नी नत्थूराम व प्रार्थी संख्या 2 का अशुद्ध नाम सरवण पुत्र नत्थूराम नाम अंकित हुआ है उसके स्थान पर प्रार्थी संख्या 1 का शुद्ध नाम लिछ्मा कंवर पत्नी स्व. नत्थूसिंह व प्रार्थी संख्या 2 का शुद्ध नाम श्रवणसिंह पूत्र नत्थूसिंह किये जाने के आदेश दिये जातें है। शेष प्रविष्टि यथावत रहेगी। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 30.03.2022 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।



(दिव्या)  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीडूंगरगढ (कानेर)

